

सात पटवारियों की वेतन वृद्धि रोकने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर ने तहसील गोपद बनास के राजस्व विभाग के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा तहसील गोपद बनास के राजस्व विभाग के कार्यों की पटवारी हल्कावार विस्तृत समीक्षा की गयी। सात पटवारियों के कार्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं जाये जाने पर नोटिस जारी कर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आगामी माह में कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी पटवारी हल्के में निर्धारित दिवसों पर उपस्थित रहेंगे। इसकी जानकारी ग्रामवासियों को भी होनी चाहिए। राजस्व विभाग के मूल कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक भटकना नहीं पड़े।



निर्धारित दिवसों में हल्के में उपस्थित रहने के निर्देश

कलेक्टर ने सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा के सभी मामलों में रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम हेलपलाइन में दर्ज शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जिम्मेदारी संबंधित पटवारी की होगी। कलेक्टर ने अभियान चलाकर आगामी एक माह में सभी प्रकार की पेंडिंग समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि समस्त

राजस्व निरीक्षक पटवारियों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तथा उन्हें आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे। कलेक्टर ने राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा उपरान्त पटवारी अविनाश पण्डोरिया, प्रवीण शुक्ला, ऋषभ नापित, उर्मिला पटेल, विद्यावती कुशवाहा, अलोक द्विवेदी, एवं अतुल शर्मा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु

नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, तहसीलदार जान्हवी शुक्ला, नायब तहसीलदार, निवेदिता त्रिपाठी, साक्षी गौतम, अधीक्षक भू-अभिलेख रवि श्रीवास्तव सहित समस्त राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लेने ऑनलाइन करें आवेदन

सीधी। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि उद्योग संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 19.06.2024 के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सीधी जिले के लिए शासन द्वारा भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिले के मान्य सभी बैंक शाखाओं को शाखावार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनांतर्गत स्वयं का व्यवसाय/सेवा/उद्योग स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से एमपी ऑनलाइन के रसमस्तर पोर्टल के माध्यम से ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योजनांतर्गत 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति व्यवसाय और सेवा क्षेत्र के लिए 50 हजार से 25 लाख रुपये तक तथा उद्योग (विनिर्माण) के लिए 50 हजार से 50 लाख रुपये तक की परियोजना लागत हेतु ऑनलाइन आवेदन समस्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

प्राथमिकता सेक्टर को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध कराएं: कलेक्टर

सीधी

कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्यों की विभागावार विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही जिले के सीडी रेशियो की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सोमवंशी द्वारा जिले के सीडी रेशियो में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसमें वृद्धि के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के विकास में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक जिले में जितनी अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं उतनी ही तेजी से आर्थिक क्षेत्र में विकास होता है। कलेक्टर ने कहा कि सीधी जिले के परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता सेक्टर को प्राथमिकता पर ऋण



उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों तथा बैंकर्स को आपसी समन्वय स्थापित कर स्वरोजगार योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सभी प्रकरण जो स्वीकृत हैं उन्हें प्राथमिकता पर ऋण का वितरण किया जाना सुनिश्चित कराएँ। कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में

हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या भटकाव नहीं होना चाहिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, आरबीआई तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि, लीड बैंक मैनेजर जगमोहन सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 276 आवेदकों की समस्याएं, निराकरण के लिए निर्देश



सीधी। जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 276 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर

अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा ने देखी कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी की गतिविधियां

सीधी। कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी में अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा डॉ. सनत कुमार त्रिपाठी का भ्रमण दिनांक 24.06.2024 को हुआ। केन्द्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. अलका सिंह के निर्देशन में अधिष्ठाता को केन्द्र का भ्रमण कराया गया एवं अधिष्ठाता के द्वारा नये सुझाव भी प्राप्त किया गया। अधिष्ठाता के द्वारा केन्द्र में मुग्गा के पौधे का रोपण कार्य भी किया गया।

केन्द्र में 30 दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण मशरूम उत्पादन पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीधी जिले के कुल 25 प्रगतिशील कृषक अपनी भागीदारी



निभा रहे हैं। उक्त प्रशिक्षण में कृषकों को मशरूम उत्पादन की सम्पूर्ण जानकारी एवं मशरूम से बनने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।

अधिष्ठाता द्वारा कृषकों को सामूहिक रूप से अपने ग्रामों में मशरूम उत्पादन करने एवं इसकी इकाई स्थापित करने के लिये प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही साथ

कृषकों को प्राकृतिक खेती एवं कम आय में अधिक आय अर्जन के लिये विभिन्न नई जानकारी प्रदान की गयी।

डॉ. अलका सिंह के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती, मौसम अनुकूल खेती, श्री अन्न की खेती, वर्षा जल संरक्षण इत्यादि की जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम में केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. शैलेन्द्र सिंह गौतम के द्वारा कृषकों को विभिन्न प्रकार के मशरूम की प्रजातियाँ एवं मशरूम के फायदे के बारे में चर्चा की गयी। केन्द्र के कार्यक्रम सहायक श्रीमती अमृता तिवारी के द्वारा मशरूम उत्पादन का प्रायोगिक ज्ञान कृषकों को दिया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत पौधारोपण की गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित

सीधी। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पौधारोपण किये जाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा आदेश जारी कर जल गंगा संवर्धन अभियान 2024-25 अंतर्गत पौधारोपण की गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। जारी आदेशनुसार उपसंचालक उद्यानिकी विभाग सीधी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी, लेखाधिकारी (मनरेगा) जिला पंचायत सीधी,

जिला परियोजना प्रबंधक म.प्र. डे-एसआरएलएम सीधी समिति में होंगे।

समिति का कार्य दायित्व होगा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिले में रोपित किये जाने वाले पौधों की गुणवत्ता के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा एवं नरेगा द्वारा दिये गये प्रावधान अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा जिला अंतर्गत समस्त पौधारोपण अभियान की सतत रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हुए प्रगति से को समय-समय पर अवागत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दिव्यांग सहायता योजना एवं ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 लागू

दिव्यांग उपकरण एवं ई-स्कूटर वाहन क्रय करने पर मिलेगा अनुदान

सीधी। श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि सहायक सचिव मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संत्रिमाण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए दो नवीन योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य संत्रिमाण दिव्यांग सहायता योजना 2024 में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक ई-स्कूटर वाहन क्रय एवं उनके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्य को

मोटर चलित तिपहिया साईकल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर 100 प्रतिशत राशि (अधिकतम 35 हजार रुपये) मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी। इसी प्रकार भवन एवं अन्य संत्रिमाण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना 2024 में पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक ई-स्कूटर वाहन क्रय किए गये वाहन का 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40 हजार रुपये) मण्डल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी। उपरोक्त

योजनाएं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए लागू की गई हैं। योजना का राजपत्र में प्रकाशन राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 जून 2024 को प्रकाशित राजपत्र में हो चुका है, तथा उक्त योजनाएं पूरे मध्यप्रदेश राज्य में राजपत्र प्रकाशन दिनांक से लागू की जा चुकी हैं। उन्होंने पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने-अपने निकाय कार्यालय अथवा जिला श्रम कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकेगा।

प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निर्देशन में मत्स्य विभाग की टीम द्वारा सेमरिया-झगरहा बाजार में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली विक्रय करते पाये जाने पर 2 मत्स्य विज्ञेताओं से क्रमशः 10 किलो एवं 15 किलोग्राम कुल 25 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्यवाही शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र गोरियरा में की गयी तथा विक्रेताओं को मांगुर मछली का पालन एवं विक्रय प्रतिबंधित होने की जानकारी देते हुए सख्त



हिदायत दी गयी की भविष्य में ऐसा करते पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी। टीम में सहायक संचालक मत्स्योद्योग दीपक शुक्ला के साथ मर्यक मिश्र मत्स्य निरीक्षक, दीप नारायण तिवारी तथा श्यामलाल केवट मत्स्य जमादार शामिल रहे।

रोजगार मेले में 24 युवाओं को मिला रोजगार

सीधी। मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जनपद पंचायत सीधी के सभागार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सुपर वाइजर तथा सिस्कोरिटी गाईड हेतु एसआईएस कंपनी के द्वारा 275 युवाओं का पंजीयन किया गया एवं 24 बेरोजगार युवकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र

दिया गया तथा बाकी युवाओं को नियुक्ति प्रक्रियाधीन हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह परिहार एवं जनपद उपाध्यक्ष ईंजीनियर श्रीमती सुमन सिंह, जनपद सदस्य श्री विनोद पटेल, श्री उमा शंकर यादव, श्री अमर सिंह (कछु), श्री मनोज रावत, श्री कालिंद सिंह गोड, श्री

सुधांशु तिवारी, श्री बालेंद्र कुशवाहा, श्री राकेश पटेल, श्री नरेंद्र सिंह परिहार, आजीविका मिशन विभाग से जिला प्रबंधक कौशल विकास श्री देवेश मिश्रा, श्री मनोज मिश्रा, श्री प्रशांत सिंह चौहान, श्री विवेक मिश्रा एवं एसआईएस कंपनी की तरफ से श्री नारायण शर्मा और भारी संख्या में बेरोजगार युवक शामिल हुए।

अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मिलेगा लाभ

सीधी। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विकास ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने बताया कि भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के लिए ऐसे अनु. जनजाति के सदस्य जिनकी उम्र 18 से 45 साल के मध्य हो, परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण हो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऐसे अनु. जनजाति के सदस्य जो आयकर दाता न हो, जिनकी उम्र 18 से 55 साल के मध्य हो उन्हें सभी प्रकार के स्वरोजगार गतिविधियों हेतु राशि रूपये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

रोंगटे खड़े कर देने वाली आपातकाल की रही दास्तां: मीसाबंदी यदुनाथ सिंह

सत्ता को बरकरार रखने के लिये कांग्रेस ने लगाया आपातकाल : देवकुमार

सीधी। आज ही के दिन कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी। आतंकवादियों जैसी यातनाएं देश भर के नागरिकों को कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान दी थी। दमन की पराकाष्ठा को पार करते हुये लोकतंत्र की हत्या के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं न्याय पालिका की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। उक्त आशय के विचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई एमरजेंसी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा आयोजित 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिवस, कथी न भूलने वाला आपातकाल



के कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में कही। वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ सिंह ने कहा कि 20 महीने 20 दिन जेल में रहा। मेरी गिरफ्तारी 4 जुलाई 1975 को हुई थी। इस दौरान हमारे साथ प्रमुख रूप में बाला प्रसाद गुप्ता, मोहनलाल चौरसिया, लालमणि सिंह, राजबली सिंह, राधेश्याम गुप्ता, रामखेलावन पाण्डेय, मंगलेश्वर सिंह सहित अनेक सीधी के जाने-माने लोग जेल गये थे। 20 महीने से अधिक आपातकाल के दौरान जेल की यातना का जिज्ञ करके हुये मीसाबंदी वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ सिंह अपनी आपबीती बताते हुये कई बार भातुक हुये। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों की भी आंखें नम हो गईं। श्री चौहान ने कहा कि हमारे साथ पशुवत से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। हमारे परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जाता था। पुलिस हमारे परिवार के साथ आतंकवादियों

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सीधी (म0प्र0)
Email:modgmsid@mp.gov.in

क्रमांक/812/खनिज/2024 सीधी, दिनांक 10/06/2024

" म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18(1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिये "

// प्रथम सूचना //

यह सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्रीमती अन्तिमा पाण्डेय पत्नी श्री चन्द्रमोहन पाण्डेय निवासी ग्राम कसौदिया उत्तर टोला, तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म0प्र0) द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13.03.2024 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17.06.2024 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल <https://ekhanijmp.gov.in> पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण						
जिला	तहसील	ग्राम	ख.क्र.	रकबा	भूमि का प्रकार	खनिज का नाम
सीधी	बहरी	झरिया	11, 15, 12, 19	1.740	शासकीय	गिट्टी

- उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
- यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उरते अधिक अन्य आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जायेगा।
- यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उत्खनित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जायेगा।
- यदि प्रथम एवं द्वितीय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त भी निर्धारित समयवधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक को पक्ष में नियमानुसार खनिज रिचयत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
- निर्धारित समयवधि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

खनि अधिकारी
जिला सीधी (म.प्र.)
जी-12396/24

रीवा राजनिवास सॉफ्टवेयर में 4 करोड़ रुपये की लागत से नवीन सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है। अत्याधुनिक पूर्ण सुसज्जित नवीन सॉफ्टवेयर में 6 सुइट के अतिरिक्त कांफ्रेंस हॉल, डायनिंग हॉल का निर्माण हो रहा है। कलेक्टर ने आज निर्माण कार्य का अवलोकन किया।



स्वास्थ्य क्षेत्र में एमपी को शीर्ष में लाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करें : उप मुख्यमंत्री

समुदाय की सहभागिता से अभियान को जन आंदोलन का रूप दें, 25 जून से 31 अगस्त घर-घर दी जाएगी दस्तक

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल के होटल अशोक लेक व्यू से प्रदेशव्यापी दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य के विभिन्न पैरामीटर आईएमआर, एमएमआर, सीएमआर आदि में मध्यप्रदेश को शीर्ष स्तर में ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को पूरे मनोयोग से कार्य करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नौनिहालों की स्वास्थ्य सुरक्षा के इस अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।

हर नागरिक, हर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता के लिए सतत प्रयास जारी - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में योग्यता की कमी नहीं है। विभाग को निरंतर सशक्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन कर आवश्यक अंतःक्षेप किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में संसाधनों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में आगामी 6 महीने में 30 हजार पदों पर भर्तियों की जाएगी। मध्यप्रदेश के हर नागरिक, हर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम सतत प्रयासरत हैं। उप मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मेडिकल प्रोफेशनल ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ देने के बारे में सोचें। आवश्यक सुविधाओं के लिए आवासीय स्तर पर सतत मंथन किया जा रहा है और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने दस्तक अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले और सहयोगी विभागीय कार्यकर्ताओं और मैदानी अमले को शुभकामना दी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का



आवश्यकतानुसार अवश्य प्रयोग करें - उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से आपातकाल में दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएँ मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। एयर एम्बुलेंस सेवा का आवश्यकतानुसार उपयोग सुनिश्चित करने लिए विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूकता लाने के निर्देश दिये गये हैं। तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रामीण अंचल में उपलब्ध हो इसमें लिए अधोसंरचनात्मक विकास और मैनपावर उपलब्धता के सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजागरूकता सामग्री का किया विमोचन - उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अभियान से संबंधित जन जागरूकता सामग्री का विमोचन किया। कार्यक्रम में दस्तक अभियान की गतिविधियों और उपलब्धियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, एमडी एनएचएम श्रीमती प्रियंका दास, संचालक आईईसी श्रीमती रचना दुबे, संचालक महिला एवं शिशु स्वास्थ्य श्रीमती अरुणा कुमार सहित समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वस्थ भारत लिए बच्चों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण - राज्य मंत्री श्री पटेल- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए बच्चों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में प्रतिवर्ष दस्तक अभियान संचालित किया जाता है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य बाल मृत्यु प्रकरणों में कमी लाना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा, दस्तक अभियान का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से किया जाता है।

संभागीय आईटीआई में रोजगार मेला आज

रीवा। संभागीय आईटीआई 2022, 2023 और 2024 के विद्यार्थियों को मीका दिया जा रहा है। बीएससी और बीकॉम पास विद्यार्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनी द्वारा जूनियर एसीएसिएट के पद के लिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षार्थियों की आयु 18-25 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक दस्तावेज एवं पासपोर्ट साइज की दो फोटो लेकर आना आवश्यक होगा। चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

जिले में अब तक 26.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

रीवा। जिले में 25 जून को 4.8 मिलीमीटर दैनिक वर्षा दर्ज की गई। जिले में हुजूर, गुड़, सिरमौर तथा सेमरिया तहसीलों में वर्षा दर्ज हुई। अब तक जिले की सभी तहसीलों में वर्षा का क्रम शुरू हो गया है। जिले में एक जून से अब तक 26.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि तहसील हुजूर में 34 मिलीमीटर, रायपुर कर्चुलियान में 12 मिलीमीटर, गुड़ 10 मिलीमीटर, सिरमौर 46.4 मिलीमीटर, त्योंधर 9 मिलीमीटर, सेमरिया 42 मिलीमीटर, मंगवा 22 मिलीमीटर तथा जवा तहसील में 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

पर्यटन क्रिज प्रतियोगिता के लिए पंजीयन 8 जुलाई तक, प्रतियोगिता 27 जुलाई को

रीवा। मध्यप्रदेश पर्यटन संपदाओं से भरा-पूरा प्रदेश है। प्रदेश के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलों एवं प्राकृतिक स्थलों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में जिले में 27 जुलाई को पर्यटन क्रिज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस संबंध में अपर कलेक्टर विकास डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के समृद्धिशाली इतिहास, परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला,

प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं से छात्रों को अवगत कराना है। अपर कलेक्टर ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम, विद्यालयों का पंजीयन 8 जुलाई तक किया जा सकता है। पंजीयन की सुविधा पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट पर आनलाइन उपलब्ध है। प्रतियोगिता में जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को उचित पुरस्कार दिया जाएगा।

मत्स्याखेट 15 अगस्त तक प्रतिबंधित

रीवा। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि के उद्देश्य से उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले के सभी जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने मत्स्याखेट निगम की 1972 की धारा (2) के तहत उक्त अवधि को क्लोज सोजिन घोषित करते हुए आमजन से अपेक्षा की है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें। नियमों के उल्लंघन पर एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

जन सुनवाई में आमजनता के 104 आवेदनों पर हुई सुनवाई

रीवा। कलेक्टर के मोहन सभागार में आमजनता के आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले ने आमजनता के 104 आवेदनों में सुनवाई की। जन सुनवाई में पीएम किसान सम्मान निधि के तीन आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण कर पात्र किसानों के नाम वृत्त में शामिल कराए गए। जन सुनवाई में सीमांकन, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, पेंशन, भू अर्जन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई।



जन सुनवाई में तहत आवेदन दर्ज करने के निर्देश दिए। पीयूष पाठक निवासी पैपखरा ने शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार त्योंधर को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के

निर्देश दिए। ममता कुशवाहा निवासी सगरा ने पड़ोसियों द्वारा नाली बंद कर रोकी गई जल निकासी को खुलवाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए। मुमताज खान वार्ड पाण्डे नगर पंचायत गुड़ ने रेणवा नदी में पहली बरसात में बह गए घटिया पिचिंग कार्य की जाँच कराने तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी शहरी विकास

अधिकरण को जाँच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जगदीश मिश्रा निवासी महमूदपुर ने वृद्धिपूर्ण सीमांकन की जाँच कर उसमें सुधार के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। आनंद कुमार पटेल निवासी बरौं ने पैतृक सम्पत्ति में उनका हिस्सा दिलाने के लिए आवेदन दिया। डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। लीला सोनी निवासी संसारपुर ने उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया।

पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई आगामी 23 जुलाई को

रीवा। मऊगंज जिले के हनुमना तहसील के ग्राम बीरादेई में 1.091 हेक्टेयर जमीन में पत्थर उत्खनन के लिए आवेदन दिया गया है। इसमें कुल 12 खसरा नम्बर शामिल हैं। खदान की मजूरी के पूर्व इसकी पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिए आगामी 23 जुलाई 2024 को तिथि निर्धारित की गई है। कलेक्टर मऊगंज के प्रतिनिधि के रूप में अपर कलेक्टर अशोक ओहरी ग्राम पंचायत भवन परिसर बीरादेई में 23 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से सुनवाई करेंगे।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के लिये 10 जुलाई तक करें आवेदन

रीवा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बीमा तथा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। परीक्षा पूर्व यह प्रशिक्षण ज्ञानोदय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-एक के पास निःशुल्क दिया जायेगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पात्र आवेदक 10

जुलाई तक कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को आयु 18 से 35 वर्ष तथा परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये कम होना आवश्यक है। आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में 55 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आवेदकों की संख्या अधिक हुई तो अंकों के आधार पर सूची तैयार कर अधिकतम अंकों से क्रमशः चयन

किया जाएगा। इस संबंध में संस्था के प्राचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए चयन होने के बाद विद्यार्थी को पाँच सौ रुपये की सुरक्षा निधि तथा अनुबंध जमा करना आवश्यक होगा। सुरक्षा निधि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वापस की जाएगी। मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशिक्षण की अवधि 12 माह की होगी। बैंकिंग, रेलवे, बीमा, एसएससी एवं कर्मचारी चयन मण्डल की परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण

अधिकतम 6 माह का होगा। जिन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता है उनको आवेदन के साथ ऑनलाइन पंजीयन का विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के संबंध में अन्य विवरण टेलीफोन नम्बर 07662-299221 पर संपर्क करके प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईमेल पीईटीसीआरईडब्ल्यूएट डेट जौमेल डॉट कॉम पर भी भेजे जा सकते हैं।

नए कानूनों के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण सेमिनार आज

रीवा। संसद द्वारा पारित किए गए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक जुलाई 2024 से प्रभावशील हो जाएंगे। नए कानूनों के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण सेमिनार 26 जून को सुबह 10.30 बजे से आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सचिव गृह विभाग नए कानूनों के संबंध में जानकारी देंगे। प्रशिक्षण में सभी कार्यपालिका दण्डाधिकारी शामिल होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों से विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

रीवा। संचालनालय सैनिक कल्याण अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में भर्ती के लिए भूतपूर्व सैनिकों से विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पी. गंगा ने बताया कि अधीक्षक, सहायक ग्रेड-2, शीघ्रमुद्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, भूत तथा चौकीदार सह फरारी के पदों के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय रीवा में 4 जुलाई तक

आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन के साथ सेना द्वारा जारी डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति, पीपीओ की छायाप्रति, पहचान पत्र एवं पंजीयन की छायाप्रति तथा स्वयं का पता लिखा डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना होगा। इस संबंध में विस्तृत विवरण वेबसाइट सैनिक कल्याण डाट एमपी डाट जीओव्ही डाट इन पर प्राप्त किया जा सकता है।

38 नियम विरुद्ध संचालित आटो पर परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही



रीवा। शहर में नियम विरुद्ध चलने वाले तीन पहिया आटो के खिलाफ लगातार जांच अभियान जारी है। शहर में ऐसे तीन पहिया आटो जिनके परमिट नगर निगम सीमा के बाहर है ऐसे आटो पर जिस यातायात, पुलिस और परिवहन विभाग ने मनगवा, रायपुर मार्ग में

परिवहन कार्यालय रीवा के सामने और गोविन्दगढ़ एवं गड्डी मार्ग पर थाना बिछिया के सामने कार्यवाही की गई। इन मार्ग से गुजरने वाले आटो के खिलाफ विशेष रूप से जांच अभियान चलाया, गया और चालानी कार्यवाही कर उनको हिरासत दी गई की मोटरयान

अधिनियम के अनुरूप ही अपने वाहन का परिवहन करें। जाँच में ऐसे 38 आटो पर चालानी कार्यवाही की गई और 5 आटो मौके पर ही जप्त किए गए जिन्हें थाना बिछिया और परिवहन कार्यालय रीवा में सुरक्षा खड़ा कराया गया। जांच के दौरान सभी आटो को समझास भी दी गई कि, जिन आटो का परमिट नगर निगम से बाहर नगर पंचायतों के लिए है, वह शहर में परिवहन न करें, अन्यथा इनको बिना परमिट मानकर चालानी कार्यवाही की जायेगी। आज की जाँच में परिवहन विभाग के साथ यातायात पुलिस और बिछिया पुलिस थाने का स्टाफ शामिल था जाँच की इस संयुक्त कार्यवाही में 76600 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने की सुनवाई

रीवा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने आकांक्षी ब्लाक सिरमौर में बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की। शिविर में चिन्हित बच्चों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में बच्चों के आधार कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल बोर्ड की टीम के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए गये। छात्रवृत्ति वितरण, खाद्यान्न



वितरण, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा यौन दुर्व्यवहार के प्रकरणों की सुनवाई बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में की गयी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की बेंच में सिरमौर एवं जवा विकासखण्ड के लगभग एक हजार से अधिक हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो

सका उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गयी। शिविर में प्राप्त आवेदनों को विभागवार संकलन कर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। शिविर में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्राप्त समस्याओं के निराकरण के संबंध में समझाइश दी गयी। इस दौरान आयोग के सदस्य श्रीमती मेघा पवार, राष्ट्रीय बाल आयोग राष्ट्रीय बाल आयोग की परामर्शदात्री समिति की सदस्य श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, राष्ट्रीय बाल आयोग के कंसल्टेंट सलाहकार कल्पेंद्र परमार एवं राहुल, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पांडे,

संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निश्चक जन कल्याण अनिल दुबे, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता, एसडीएम आरके सिन्हा, सीईओ जनपद हलधर मिश्रा, एसडीओपी श्री प्रजापति, परियोजना अधिकारी जीवेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी डॉ. शेषनारायण मिश्रा, बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव, बेनिसन हेलिपंग सोशल वेलफेयर सोसायटी अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला सहित बच्चे व उनके परिजन, स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आशीष द्विवेदी सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।